फैक्स सेवा उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त 30 जून, 1991 तक देश में काम कर रहे 516 दूर संचार केन्द्रों में से अधिकांश केन्द्रों में भी यह सेवा उपलब्ध हैं । वर्तमान नीति के अनुसार, निजी पार्टियां भी, तार प्राधिकारी से अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करके अपनी टेलीफोन लाइन से इस सेवा का प्रचालन कर सकती हैं ।

(ग) योजना में उपभोक्ता डायलिंग नेटवर्क से जुड़े सभी स्टेशनों पर चरणबद्ध तरीके से फैक्स सेवा शुरु किए जाने पर विचार किया गया है जिसे परियात की संभावना के आधार पर राजस्व जिला मुख्यालयों, उपमंडलीय मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों से शुरु करके नीचे तक के ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाने का प्रस्ताव है ।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन और तार के उपखंड

1479. **श्री अजीत जोगी :**

श्रीमती सत्या बहिन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय टेलीफोन और तार के कितने उपखण्ड हैं;

(ख) कार्य के बढ़ते हुए भार को देखते हुए क्या इन उपखंडों की संख्या बढ़ाई जाएगी, यदि हां, तो ये उपखण्ड कौन-कौन से स्थानों पर खोले जायेंगे;

(ग) उपखण्ड खोलने के क्या मापदण्ड हैं तथा क्या मध्य प्रदेश में उपखण्डों की संख्या इस सम्बन्ध में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप है; और

(घ) उन प्रदेशों के नाम क्या-क्या हैं जिनमें उपखण्डों की संख्या निर्धारित मापदण्डों की तुलना में कम अथवा अधिक है ।

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) इस समय मध्य प्रदेश में 22 टेलीफोन उपमण्डल तथा 39 तार उप-मंडल हैं ।

(ख) जी हां. कार्यभार के आधार पर मानकों के अनुसार निम्नलिखित मण्डल बनाने का औचित्य बनता है ।

1. रायसेन तार उप-मण्डल ।
2. नागदा तार उप-मण्डल ।
3. झबुआ तार उप-मण्डल ।
4. होशंगाबाद तार उप-मण्डल ।
5. सिवनी तार उप-मण्डल ।
6. कंकेर तार उप-मण्डल ।
7. देवास टेलीफोन उप-मण्डल ।
8. रतलाम टेलीफोन उप-मण्डल ।

(ग) और (घ) उप-मण्डल खोलने के लिए निम्नलिखित मानक हैं :—

(1) एक टेलीफोन उप-मण्डल की मंजूरी तभी दी जाती है जब संकेन्द्रित प्रणाली में कुल कार्यभार 4420 एस. आई.यू. (स्टाफ निरीक्षण यूनिट) यूनिट हो जाए ।

(2) किसी दूरसंचार जिले में एक तार उप-मण्डल की मंजूरी पूर्णयोग आधार पर 6800 एस० आई० यू० की दर से पूर्णतः प्रकीर्ण परिसम्पत्तियों के लिए दी जाती है तथा इसमें 0.5 के भिन्न अंक को अगले पूर्णांक तक ले जाया जाता है ।

ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां निर्धारित मानकों से अधिक टेलीफोन/तार उप-मण्डल हों । तथापि, निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्तमान कार्य-भार की दृष्टि से नीचे दी गई सीमा तक अतिरिक्त टेलीफोन/तार उप-मण्डल खोलने का औचित्य बनता है ।

ये उप-मण्डल खोले जाने हैं :—

(1) **महाप्रबन्धक, जबलपुर के अधीन**

सीवन तार उप-मण्डल ।

(2) **निदेशक, दूरसंचार, रायपुर के अधीन**

कंकेर तार उप-मण्डल

(3) **निदेशक दूरसंचार, भोपाल के अधीन**

झबूआ तार उप-मण्डल ।
होशंगाबाद तार उप-मण्डल ।
देवास टेलीफोन उप-मण्डल ।
रतलाम टेलीफोन उप-मण्डल ।
रायसेन तार उप-मण्डल ।
नागदा तार उप-मण्डल ।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

1480. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से इलाहाबाद में, 30 जून, 1991 तक कितने व्यक्तियों के नाम टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने की प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं, और

(ख) उन्हें कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) उत्तर प्रदेश में 30-6-91 तक प्रतीक्षा सूची में दर्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 99,805 है और इलाहाबाद में यह संख्या 4761 है ।

(ख) आठवीं योजना प्रारूप इस उद्देश्य से तैयार किया गया है ताकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 5000 लाइनों से कम क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंजों में मांग होने पर टेलीफोन प्रदान किए जा सकें तथा 5000 और उससे अधिक लाइनों की क्षमता वाले एक्सचेंजों में प्रतीक्षा सूची को एक वर्ष तक सीमित किया जा सके । इस उद्देश्य के साथ, 8वीं योजना अवधि के दौरान प्रतीक्षा सूची को उत्तरोत्तर निपटाने के लिए विस्तार योजनाएं तैयार की जा रही है । जहां तक इलाहाबाद का संबंध है, वर्ष 1991-92 में लगभग 3000 टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने और शेष कनेक्शन तदुपरान्त उत्तरोत्तर प्रदान किए जाने की संभावना है ।

शहीद सुमन देव के सम्मान में स्मारक डाक टिकट

1481. **श्री सत्य प्रकाश मालवीया** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गढ़वाल, उत्तर प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी शहीद सुमन देव के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने के प्रस्ताव के संबंध में सरकार का क्या इरादा है; और

(ख) ऐसी डाक टिकट के कब तक जारी कर दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री श्री पी० वी० रंगैया नायडू : (क) और (ख) शहीद देव सुमन पर डाक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, श्री सुमन देव के सम्मान में एक डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । स्मारक/विशेष डाक टिकट जारी करने और अन्य संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए विभाग में कार्य कर रही फिलैटलिक सलाहकार समिति की 12-11-84, 22-5-87 और 22-12-88 को हुई बैठकों में यह प्रस्ताव समिति के विचारार्थ रखा गया था लेकिन समिति ने इसकी सिफारिश नहीं की । अतः फिलहाल इनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।